

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55, 1975}

THE UTTAR PRADESH PARKS, PLAYGROUNDS AND OPEN SPACES (PRESERVATION AND REGULATION) ACT, 1975

[U.P. Act No. 55 of 1975]

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55, 1975}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

उत्तर प्रदेश में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के संरक्षण और विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण तथा और विनियमन) अधिनियम, 1975 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन प्रत्येक नगर महापालिका में और यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन प्रत्येक म्युनिसिपैलिटीज या नोटीफाइड एरिया में और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन प्रत्येक टाउन एरिया में सम्मिलित प्रत्येक क्षेत्रों में और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनको राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार गजट में, अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

परिभाषाएं

(क) “खुली जगह” का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी भूमि से (चाहे घिरी हुई हो या न हो) है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीसवें भाग से अधिक पर कोई भवन नहीं है और जिसका सम्पूर्ण या शेष भाग मनोरंजन, वायु या प्रकाश के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है;

(ख) “पार्क” का तात्पर्य उस भू-खंड से है, जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिस के बीसवें भाग से अधिक पर कोई इमारत न हो और जिसके सम्पूर्ण या शेष भाग का विन्यास वृक्ष, पौधे, फूलों की क्यारी सहित उद्यान के रूप में या लॉन के रूप में या घास के मैदान के रूप में किया गया हो और जिसका अनुरक्षण मनोरंजन, वायु या प्रकाश के लिए सार्वजनिक समागम-स्थान के रूप में किया जाता हो ;

(ग) “खेल का मैदान” का तात्पर्य उस भू-खंड से है जिसका अनुकूलन खेल, खेल-कूद या क्रीड़ा के प्रयोजनार्थ और उपयोग किसी शिक्षण संस्था या क्लब या अन्य समुदाय द्वारा किया जाता है ;

(घ) “विहित” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।

3— (1) किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के सभी पार्कों, खेल मैदानों और

पार्कों, खेल के

के मैदानों और खुली जगहों की सूची, रेखाचित्र और मानचित्र सहित, ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे सूचियों प्रस्तुत समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, तैयार तथा प्रकाशित की जायगी।

खुली जगहों की को तैयार और करना

(2) कोई हितबद्ध व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूची के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसी सूची से सम्बद्ध या उसमें अंकित किसी बात के बारे में अपनी आपत्तियों और सुझावों को विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(3) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् सूची का अनुमोदन परिष्कार सहित या रहित कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित सूची ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित होगी और ऐसी रीति में प्रकाशित की जायगी, जैसी विहित की जाय।

{उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975} 4—9}

{धारा

(5) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित किसी सूची में निर्दिष्ट या उसका अंगीभूत कोई रेखा चित्र, मानचित्र या दस्तावेज जनता के निरीक्षण के लिए ऐसे स्थान और समय पर जो विहित किया जाय, उपलब्ध होगा।

4— (1) कोई व्यक्ति जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के प्रति कोई आपत्ति हो, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकता है।

सरकार द्वारा सूची

पुनरीक्षण

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विहित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा और सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, सूची का पुनरीक्षण कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथा पुनरीक्षित सूची को गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाय, प्रकाशित किया जायगा।

5— (1) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वतः या स्थानीय प्राधिकारी या किसी परिवर्तन या हितबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर धारा 3 के अधीन अनुमोदित या धारा 4 के अधीन पुनरीक्षित सूची को परिवर्द्धित, परिवर्तित या विखंडित कर सकता है।

सूची का
विखंडन

(2) ऐसा कोई परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन करने के पहले राज्य सरकार विहित रीति से ऐसे परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन के प्रारूप को एक नोटिस के साथ, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा, जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायगा, प्रकाशित करेगी और ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उस प्रारूप के संबंध में प्राप्त हो जायें, विचार करेगी।

6— कोई पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह जो, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट हो, विहित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना, जिस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पहले किया जा रहा था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जायगी।

कुछ मामलों में पार्क,

के मैदान और खुली

के उपयोग का

7— स्थानीय प्राधिकारी उन पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का जो उसकी मैदानों और

पार्कों, खेल के

हों या उसमें निहित हों और धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, अनुरक्षण स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करेगा।

खुली जगहों का

8— कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई इमारत नहीं निर्माण

इमारतों आदि के

बनायेगा या कोई संरचना नहीं करेगा, जिससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट पार्क खेल के मैदान या खुली जगह की उपयोगिता के प्रभावित होने की संभावना हो।

का प्रतिषेध

9— (1) किसी पार्क या खेल के मैदान की स्थिति में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में मैदान निहित न हो किन्तु धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हो, विहित स्वामी का

पार्क, खेल के
आदि के

प्राधिकारी नोटिस द्वारा ऐसे पार्क या खेल के मैदान के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह—

आभार

(एक) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करे; या

(दो) किसी ऐसे पार्क या खेल के मैदान में या पर प्रक्षेप, अधिक्रमण अवरोध को निराकृत या परिवर्तित करे या नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक के भीतर ऐसे पार्क या खेल के मैदान में किसी इमारत में ऐसी मरम्मत करे जो विहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

{उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975} 10—12}

{धारा

(2) यदि स्वामी या अध्यासी उपधारा (1) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे तो विहित प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभिकरण द्वारा जो वह उचित समझे, इस बात की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात् :-

(एक) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण ;

(दो) प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध का निराकरण या परिवर्तन ;

(तीन) ऐसी मरम्मत करना जो वह आवश्यक समझे, और ऐसे अनुरक्षण, निराकरण, परिवर्तन या मरम्मत का व्यय ऐसे स्वामी या अध्यासी से ऐसी रीति में जो विहित की जाय, वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली योग्य व्यय की धनराशि के बारे में किसी विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) में जैसा इंगित है, वैसी कार्यवाही करने के बजाय या अलावा भूमि का अर्जन पार्क या खेल के मैदान के रूप में भूमि के प्रभावकारी प्रबन्ध के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन करा सकता है।

(5) किसी खेल के मैदान का स्वामी या अध्यासी, जो खेल के मैदान का उपयोग खेल के मैदान से भिन्न किसी रूप में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, राज्य सरकार को खेल के मैदान में अपने अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिये नोटिस दे सकता है और यदि राज्य सरकार ऐसे नोटिस पाने के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसे अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिए अपनी तैयारी और रजामन्दी को संज्ञापित नहीं करता है तो वह ऐसे खेल के मैदान को ऐसे उपयोग में ला सकता है, जैसा वह चाहे।

10— (1) विहित प्राधिकारी धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित का

वार्षिक विवरणियाँ

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में एक वार्षिक विवरणी ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरे, सहित, जो विहित किये जायें, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

प्रस्तुत किया जाना

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी के साथ उन पार्कों और खेल के मैदानों का, जिनके संबंध में धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई थी, एक सूची भी होगी और उसके साथ-साथ उनके संबंध में की गई कार्यवाही के प्रकार और उनके उचित अनुरक्षण के बारे में उठाये गये कदम के संबंध में व्योरे होंगे।

11— यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के या उसमें निहित को

अप्राधिकृत व्यक्तियों

किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करके प्रवेश करता है या रहता है तो उसे, किसी अन्य कार्यवाही पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो, ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से हटा सकता है।

हटाना

12— जो कोई धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में कोई कूड़ा फेंकता है या जंगल या बाड़ का अतिक्रमण करता है या उसमें फल, फूल, पौधे, घास या किसी भी अन्य वस्तु को चुराता है या क्षति

शास्ति

पहुँचाता है या उसमें कोई अप्रदूषण करता है, उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का जो एक मास तक हो सकता है या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायगा।

{उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975} 13-14}

{धारा

13— इस अधिनियम के अधीन पार्कों, खेल के मैदान और खुली जगहों की सूची तैयार अन्तरिम और प्रकाशित होने तक (जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर दी जायगी) किसी भूमि का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व खुली जगह हो या जिसका उपयोग पार्क या खेल के मैदान के रूप में किया जाता हो, ऐसे पार्क या खेल के मैदान के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो उपयोग किया जायगा और न बरता जायगा।

14— (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को की शक्ति कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकता है —

(क) पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों में व्यक्तियों के प्रवेश, और उनमें और उनके आस-पास व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रण या विनियमन ;

(ख) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में पशुओं या किसी वर्ग के पशुओं के प्रवेश का निर्बन्धन या प्रतिषेध ;

(ग) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाना जो उसमें इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकारी के किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करते हों ;

(घ) समय जिसके भीतर धारा 10 के अधीन वार्षिक विवरणी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(च) इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः अपेक्षित या अनुमत सभी विषय जिन्हें विहित किया जाना हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

THE UTTAR PRADESH PARKS, PLAYGROUNDS AND OPEN SPACES (PRESERVATION AND REGULATION) ACT, 1975

[U.P. Act No. 55 of 1975]

AN

ACT

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

to provide for the preservation and regulation of parks, playgrounds and open spaces in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth year of the Republic of India as follows:--

Short title,
extent and
commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975.

(2) It shall apply to the areas included in every Nagar Mahaplika under the

under the
may,

Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and every municipality or notified area under the U.P. Municipalities Act, 1916 and every town area U.P. Town Areas Act, 1914, and to such other areas as the State Government from time to time, by notification in the *Gazette*, specify in this behalf.

(3) If shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint, and different dated may be appointed for different local areas.

Definitions

2-

In this Act, unless the context otherwise requires---

(a) "open space" means any land (whether enclosed or not), belonging to the State Government or any local authority, on which there are no buildings or of which not more than one-twentieth part is covered with buildings, and whole or the remainder of which is used for purposes or recreation, air or light;

(b) "park" means a piece of land on which there are no buildings or of which not more than one-twentieth part is covered with buildings, and the whole or the remainder of which is laid out as a garden with trees plants or flower-beds or as a lawn or as a meadow and maintained as a place for the resort of the public for recreation, air or light;

(c) "playground" means a piece of land adapted for the purpose of play, game or sport and used by any educational institution or club or other association;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

Preparation
plans and
be submission of
lists of parks,
play grounds
and spaces.
the date of
and
such

3-

(1) After the commencement of this Act in any area, a list, with and maps, of all parks, playgrounds and open spaces in such area, shall prepared and published by such authority within such time and in such manner as may be prescribed.

open (2) Any person interested may, within three months of publication of the list under sub-section (1), submit his objections suggestions in writing in respect of anything contained in or relating to list to the prescribed authority.

(3) The prescribed authority may, after considering the objections and suggestions, if any, received under sub-section (2) and after making such further enquiry, if any, as it thinks fit, approve the list with or without modification.

(4) The list, approved by the prescribed authority under sub-section (3) shall be in such form and contain such particulars and shall be published in such manner as may be prescribed.

[The U.P. Parks, Playgrounds and Open spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975] [Section 4-9]

(5) Any plan, map or document forming part of or referred to in any list published under sub-section (1) or sub-section (4), as the case may be, shall be available to the public for inspection at such place and such time as may be prescribed.

Revision of
by

4-

(1) Any person who has any objection to the list approved by the list prescribed authority, may, within such time as may be prescribed, make

a Government

representation in writing to the State Government.

(2) On such representation, the State Government may call for the records of the case from the prescribed authority and after giving the parties concerned an opportunity of being heard, and if necessary, after making such further inquiry, as it may consider necessary, revise the list.

(3) The list, as revised under sub-section (2), shall be published in the Gazette and in such other manner as may be prescribed.

Variation or
the revocation of
list

5-

(1) The State Government may, at any time, either *suo motu*, or at instance of a local authority, or of any person interested, add to, vary or revoke a list approved under section 3 or revised under section 4.

(2) Before making any such addition, variation or revocation, the State Government shall publish, in the prescribed manner, a draft of such addition, variation or revocation together with a notice specifying a date on or after which such draft will be taken into consideration and shall consider such objections and suggestions as may be received in respect of such draft before the date so specified.

Prohibition of
the use of
parks, play-
grounds and
other

6-

No, park, playground or open space, specified in the list published under section 3 or section 4, as the case may be, shall except with the previous sanction of the prescribed authority, be used for any purpose

open spaces in
certain cases

than the purpose for which it was used on the date immediately preceding the date of commencement of this Act.

Maintenance
all of parks, play-
grounds and
open spaces

7-

The local authority shall maintain in a clean and proper condition parks, playgrounds and open spaces belonging to or vested in it and included on the list published under section 3 or section 4.

Prohibition of
prescribed construction of
to affect the building, etc.

8-

No person shall, except with the previous sanction of the authority construct any building or put up any structure likely

utility of the park, playground or open space specified in the list published under section 3 or section 4.

Obligation of
authority owner of parks
the prescribed playgrounds,
etc.

9-

(1) In the case of a park or playground not vested in a local but included in the list published under section 3 or section 4, authority may, by notice, require the owner or occupier of such park or playground---

(i) to maintain such park or playground in a clean and proper condition; or

(ii) to remove or alter any projection, encroachment or obstruction in or over any such park or playground or to make within a date specified in the notice such repairs to any building in

such park or playground as the prescribed authority may consider necessary.

[The U.P. Parks, Playgrounds and Open spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975] [Section 10-12]

(2) If the owner or occupier fails to comply with the notice under sub-section (1) the prescribed authority shall itself arrange, through such agency, as it think fit-

(i) to maintain such park or playground in a clean and proper condition; or

(ii) to remove or alter the projection, encroachment or obstruction; or

(iii) to make such repairs, as it may consider necessary,

and the cost of such maintenance or removal, alteration or repairs shall be recoverable from such owner or occupier in such manner as may be prescribed.

(3) Any dispute as to the amount of cost recoverable under sub-section (2), shall be decided by the State Government, whose decision shall be final.

(4) The prescribed authority may, instead of or in addition to taking action, as indicated in sub-section (2) cause the land to be acquired under the Land Acquisition Act, 1894, for the purpose of effective management of the land as a park or playground.

(5) Any owner or occupier of a playground desiring to convert a playground to any use other than as a playground may give notice to the State Government to purchase his rights, title and interest in the playground, and if the State Government does not signify its readiness and willingness within six months from the date of receipt of such notice to purchase such rights, title and interest, he may put such playground to such use as he desires.

Submission of 0-annual returns

(1) The prescribed authority shall submit to the State Government in such form and with such particulars, as may be prescribed an annual return in

respect of the parks, playgrounds and open spaces included in the list published under section 3 or section 4.

(2) The return referred to in sub-section (1) shall also contain a list of the parks and playgrounds in respect of which action was taken under sub-section

(2) of section 9, together with particulars as regards the nature of the action taken in respect of them and the steps taken in regard to their proper maintenance.

Removal of unauthorized persons

If any person enters or remains in any park, playground or open space of belonging to or vested in the State Government or a local authority, in

contravention of any direction issued in that behalf by the State

Government or, as the case may be, by such authority, he may without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be removed from such park, playground or open space by any police officer or any other person acting on behalf of the State Government or such local authority, as the case may be, who may use such force for the purpose as may be necessary.

Penalties 1 Whoever throws any rubbish into any parks, playground or open space 2- specified in the list published under section 4 or section 5 or gets over the railings or fence or steals or damages the fruits, flowers, plants, grass or any other thing whatsoever therein or commits any nuisance therein, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine or with both.

[The U.P. Parks, Playgrounds and Open spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975] [Section 13-14]

Interim 13- Until the preparation and publication of a list of parks, playgrounds preservation and open spaces under this Act, (which shall be completed within a period of parks etc.

of two years from the commencement of this Act) no land which in an open space or is used as a park or playground immediately preceding the date of commencement of this Act shall be used or dealt with for any purpose except as such park or playground save with the prior permission in writing of the prescribed authority.

Power to make 14- (1)The State Government may, by notification in the *Gazette* make rules rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

(2)In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for---

(a)controlling or regulating the admission of persons to, and the conduct of persons in and in the vicinity of parks, playgrounds and open spaces.

(b)restriction or prohibiting the admission of animals or any class of animals to any parks, playground or open space;

(c)removing from any park, playground or open space any person who is therein in contravention of any order or direction of

any authority issued under this Act;

(d)the time within which the annual return under section 10 shall be submitted to the State Government;

(e)the procedure to be followed under sub-section (2) of section 9; and

(f)all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed.

(3)All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications

or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make so, however, that any such modifications or annulments shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

